

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

प्रपत्र-6

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, राजसमन्द जिला राजसमन्द (पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प

-: आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी पतीतिपा
 व भू.अ.नि. शिल्लुपड की रिपोर्ट तथा रूप तहसीलदार/नायब
 तहसीलदार शिल्लुपड की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम
 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम पतीतिपा तहसील रामनगर
 जिला राजसमन्द की जमाबन्दी संवत् 2077 में खाता संख्या 391, 392 में
 वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल
 दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	पतीतिपा	391 392	शीकित पुत्र भोदनलाल श्वक्ती सा. दे. द	शीकित पुत्र भोदनलाल जाति सुन्दर सा. दे. द

रामनगर
 सहायक कलक्टर
 (उप खण्ड अधिकारी)
 उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,

क्रमांक:- 1/राजस/2025/22
 प्रतिलिपि :-

दिनांक :- 29/9/25

1. तहसीलदार शिल्लुपड को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावें।
2. प्रार्थी श्री को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

रामनगर
 सहायक कलक्टर
 (उप खण्ड अधिकारी)
 उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,